(34)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य.

42

प्रकरण क्रमांक निगरानी 736–पीबीआर/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल/होशंगाबाद संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 14/निगरानी/2000–01.

———

दौला आ. परसा
निवासी ग्राम सुवाहेड़ी
तह. खिलचीपुर जिला राजगढ़ ——— आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन
द्वारा जिलाध्यक्ष राजगढ़

2– सिद्धनाथ विश्वकर्मा
राजस्व निरीक्षक वृत्त–2
तह. खिलचीपुर जिला राजगढ़

3– हरीसिंह जाटव
पटवारी हल्का क. 14
तह. खिलचीपुर जिला राजगढ़

4– केशरबाई

5– रमकूबाई
दोनों पुत्रियां नाथू
निवासी ग्राम सुबाहेड़ी
तहसील खिलचीपुर ——— अनावेदकगण

———

श्री अनुज गुप्ता, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री रमेश सक्सैना, अधिवक्ता अनावेदक क. 2.

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/2/16 को पारित)

.....

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल/होशंगाबाद संभाग, भोपाल के प्रकरण

कमांक 14/निगरानी/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 27–1–05 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सुवाखेयड़ी में स्थित कृषि खाता कुल किता 17 कुल रकबा 11.765 हैक्टर पर नाथू, किशोर पुत्रगण अमरसिंह हिस्सा 1/2 तथा देव्या पिता भंवाना हिस्सा 1/2 का नाम अंकित है । बटवारा उपरांत ख.नं. 35 की भूमि नाथू एवं किशोर को तथा ख. नं. 28 की भूमि देव्या को प्राप्त हुई । नाथू के मरने के बाद देव्या ने खसरा नं. 35 की भूमि का विक्रय आवेदक को दिनांक 31–1–95 को कर दिया । जिसके आधार पर संशोधन पंजी की प्रविष्टि क्र. 2 पर आवेदक का नामांतरण किया गया । उक्त नामांतरण प्रक्रिया विहीन होने से कलेक्टर, राजगढ़ ने संहिता की धारा 50 के तहत स्वमेव निगरानी अधिकारों का प्रयोग करते हुए नामांतरण पंजी पर पारित आदेश निरस्त किया एवं संबंधित पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक सिद्धांत की ओर ध्यान नहीं दिया है कि नामांतरण आदेश अपील योग्य होता है तथा दुखी पक्षकार को अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी परंतु उनके द्वारा अपील प्रस्तुत न करके शिकायत के आधार पर जो कार्यवाही की गई है वह निरस्ती योग्य है । इस संबंध में 2002 आर.एनल. 52 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता को इस तथ्य की जानकारी थी कि आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि 1995 में पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की है तथा जमीन क्रय करने के बाद से उसका नामांतरण हो गया है तथा निरंतर कब्जा चला आ रहा है ।

यह तर्क दिया गया है कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही में समयावधि संबंधी प्रावधान लागू होंगे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही समयावधि बाह्य है । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस संबंध में आवेदक द्वारा उठाई गई

आपत्ति पर विचार न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । इस संबंध में उनके द्वारा 2010 आर.एन. 409 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि जिलाध्यक्ष ने शिकायतकर्ता को ना तो प्रकरण में पक्षकार बनाया है और न आवदक को उसके प्रतिपरीक्षण अथवा जांच कार्यवाही में पूछताछ का अवसर दिया गया है । केवल एक तर्फा कार्यवाही की गई हो विधि के मान्य सिद्धांतों एवं प्रकिया के विपरीत है ।

यह तर्क दिया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादितभूमि पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की गई थी । पंजीकृत विक्रयपत्र की वैधता की जांच का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । अंत में यह कहा गया है कि अपर आयुक्त ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को ना तो पक्षकार बनाया है और ना ही उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । प्रकरण में आवेदक ने इस बिंदु का कोई भी उत्तर अथवा प्रमाण पेश नहीं किया है कि क्या देव्या को भूमि विक्रय करने का अधिकार था ? क्या देव्या के पास भूमि खसरा क्रं. 35 की भूमि का स्वामित्व था ? ऐसी स्थिति में जबकि कथित विक्रयपत्र अधिकार विहीन है तब राजस्व अधिकारियों ने उसके आधार पर नामांतरण न करने में कोई त्रुटि नहीं की है । कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया है तथा संबंधित पक्षों को सुना है । शिकायतकर्ता को सुनना उनके लिए आवश्यक नहीं था । आवेदक ने भूमि पर उसके कब्जे का भी आधार लिया है लेकिन कब्जे के आधार पर नामांतरण का कोई प्रावधान नहीं है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 **सदस्य,**
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर